विचार बिन्दु

दोष निकालना सुगम है, उसे अच्छा करना कठिन। –प्लूटार्क

नीति आयोग की नई रिपोर्ट चेतावनी व अवसर दोनों

नीति आयोग ने 'भारत में अनुसंधान एवं विकास की सुगमता' पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने देश में अनुसंधान एवं विकास के इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करते हुए गहरी संरचनात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर किया है तथा नवाचार-आधारित विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने भले ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए 38वां स्थान हासिल कर लिया हो, लेकिन अनुसंधान एवं विकास पर देश का सकल व्यय पिछले दो दशकों से सकल घरेलू उत्पाद के 0.64 से 0.65 प्रतिशत के बीच स्थिर बना हुआ है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट केवल बजट की कमी की पुरानी शिकायत नहीं दोहराती, बल्कि पहली बार उन प्रशासनिक और नियामक बाधाओं को रेखांकित करती है, जो सीधे तौर पर देश में अनुसंधान का माहौल न बनने का मुख्य कारण है। केंद्र सरकार ने हाल हीमें नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए उसमें पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के स्थान पर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को भी शामिल किया था। ऐसा करके संकेत दिया गया था कि शासन अब वैज्ञानिक नीतियों को लेकर गंभीर है। इसी बदलाव का नतीजा है यह ईमानदार रिपोर्ट है, जिसकी सबसे व्यावहारिक और साहसिक अंतर्दृष्टि यह है कि उसने अनुसंधान एवं विकास संकट के लिये प्रमुख रूप से प्रशासनिक जटिलताओं को स्वीकार किया है। भारत में प्रति दस लाख आबादी पर पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या केवल 262 है, जबकि अमेरिका में यह 4,821 और चीन में 1,585 है। इस प्रकार भारत में युवा प्रतिभाओं का विशाल भंडार होने के बावजूद, शोधकर्ताओं का कुल घनत्व कम बना हुआ है। यह अंतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारे मानव संसाधन की गंभीर कमी को दर्शाता है। इसके अलावा अनुसंधान का यह संकट राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में और भी अधिक गहरा है। केंद्रीय संस्थानों की तुलना में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के पास न तो आधुनिक बुनियादी ढांचा है और न ही पर्याप्त बजटीय आवंटन। राज्य स्तर के शिक्षकों का अधिकांश समय शैक्षणिक कार्यों और प्रशासनिक नियमों के अनुपालन में ही लग जाता है, जिससे उनके पास नवाचार के लिए समय ही नहीं बचता। उच्च शिक्षा का पोस्टडॉक्टोरल तंत्र अविकसित है, जिससे अनुसंधान की निरंतरता और गहराई पर असर पड़ता है। फेलोशिप के वितरण में देरी, भर्ती की कठोर प्रक्रियाएं, और सार्वजनिक संस्थानों में बड़ी संख्या में खाली पद अनुसंधान की नींव को और भी कमजोर करते हैं।

यह रिपोर्ट सही इंगित करती है कि भारत के अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी इसका सरकार पर अत्यधिक निर्भर होना है। वैश्विक स्तर पर जहां विकसित और शीर्ष नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास बजट का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र से आता है, वहीं भारत में इसका उल्टा है। भारत में अनुसंधान व्यय का लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र से आता है। जब सार्वजनिक से पैसा आता हो तब साथ में सरकारी तौर तरीके आएंगे ही। रिपोर्ट रेखांकित करती है कि भारतीय वैज्ञानिकों की असफलता उनकी प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमजोरी तथा लालफीताशाही है। रिपोर्ट वे प्रमुख प्रशासनिक रोड़ों को भी गिनाती है जिन पर सरकारें आम तौर पर आंख मूंदे रहती हैं। सरकारी व्यवस्था में जब अनुदान स्वीकृतियां मिलने का प्रतिशत दस से भी कम हो, तब शोधकर्ताओं में उत्साह का माहौल होने की कैसे आशा की जा सकती है। इसके अलावा स्वीकृत परियोजनाओं को भी राशि जारी होने में महीनों लग जाते हैं। केंद्रीयकृत ट्रेजरी सिंगल अकाउंट मॉडल और वित्तीय वर्ष के अंत में लागू यूज इट या लूज इट (बजट का उपयोग न होने पर लैप्स होना) की नीति वैज्ञानिक निरंतरता को बाधित करती है। भारत में अनुसंधान के मामले में निजी निवेश क्यों कम है इस पर भी नीति आयोग की रिपोर्ट खुल कर बात करती है। वह कहती है कि देश में निजी निवेश की इस कमी के पीछे सरकार की जटिल कर नीतियां, पेटेंट व्यावसायीकरण के लिए प्रोत्साहनों का अभाव और अकादमिक संस्थानों के साथ कमजोर संबंध मुख्य वजहें हैं। और यह तंत्र उच्च-गुणवत्ता वाली मानव पूंजी को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने में मुश्किलों से झूंझता है। मानव संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जो किसी भी अनुसंधान तंत्र की रीढ़ होती हैं। साथ ही, अनुसंधान एवं विकास में करियर के रास्ते अनिश्चित हैं और वे अक्सर कम आकर्षक बने हुए हैं–विशेष रूप से निजी क्षेत्र और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में। जब काम के अवसर कम होंगे तब अनुसंधान की उत्पादकता की बात ही बेमानी हो जाती है। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में करियर बनाने तथा उससे दीर्घकालिक जुड़ाव को बढ़ावा देने का कोई प्रयत्न नहीं नज़र आता है। सरकारी क्षेत्र पर निर्भरता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाएं अक्सर अत्यधिक केंद्रीकृत होती हैं, जिनमें ज्यादातर निर्णय लेने की शक्तियों का हस्तांतरण सीमित होता है, जिससे नियमित कार्य धीमे हो जाते हैं और संस्थागत कार्यकुशलता कम हो जाती है। व्यापक स्तर पर नेतृत्व की जवाबदेही नज़र नहीं आती है। दूसरी तरफ अनुसंधान क्षेत्रों की रणनीतिक प्राथमिकता और संस्थागत प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के समय-समय पर स्व-मूल्यांकन पर बहुत कम ज़ोर दिया जाता है। इससे ठोस नवाचारों की क्षमता और भी सीमित हो जाती है। मानकीकृत दिशानिर्देशों और स्पष्ट संचालन प्रक्रियाओं की कमी के कारण अनुमोदन, खरीद और परियोजना प्रबंधन में विसंगतियां खड़ी होती हैं और देरी होती है।

देश को नियंत्रण और अनुपालन की औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालकर जब तक हम अपने वैज्ञानिकों को वित्तीय फाइलों और ऑडिटिंग के मकड़जाल से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा वैश्विक नेतृत्व का सपना अधूरा ही रहेगा। इस रिपोर्ट को बिना किसी देरी के लागू करना भारत की वैज्ञानिक संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है।

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए नीति आयोग ने एक व्यापक पांच सूत्रीय ढांचा पेश किया है, जिसका आशय अनुसंधान करने में आसानी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना और उसे मदद देने वाले कारकों को बढ़ावा देना। नीति आयोग ने भारत को स्टार्टअप नेशन और नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैश्विक सफलताओं का अनुकरण करने की सलाह दी है। जैसे दक्षिण कोरिया का मॉडल जिसके कारण आज वहां का निजी क्षेत्र कुल अनुसंधान व्यय में 80 प्रतिशत का योगदान देता है। इज़राइल सरकार ने उच्च-तकनीकी स्टार्टअप्स में निजी उद्यम पूंजीपतियों (वेंचर केपिटलिस्ट्स)के साथ मिलकर सह-निवेश किया, जिसने देश के शुरुआती चरण के फंडिंग संकट को दूर करने में मदद की। अमेरिका की रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता, लचीली नियुक्तियों और परिणाम-उन्मुख लक्ष्यों के साथ काम करती है, जो नौकरशाही से मुक्त है। नीति आयोग की राय है कि भारत को भी अपने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और विज्ञान मंत्रालयों के भीतर इसी तरह की मिशन-मोड और लचीली संरचनाओं को अपनाना चाहिए। कई संस्थाओं में, समर्पित और पेशेवर रूप से प्रबंधित संस्थागत संरचनाएं और आंतरिक प्रक्रियाएं भी चिंता के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरती हैं। परिणामस्वरूप प्रशासनिक प्रणालियां परेशान करने वाली बन जाती है, जिससे शोधकर्ताओं पर गैर-वैज्ञानिक कार्यों को संभालने का काफी बोझ पड़ जाता है। मानकीकृत दिशानिर्देशों और स्पष्ट संचालन प्रक्रियाओं की कमी के कारण अनुमोदन, खरीद और परियोजना प्रबंधन में विसंगतियां और देरी होती है। ज्ञान के सृजन और उसे उत्पादों और तकनीकों में बदलने के बीच का अंतर भी एक और बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहां भारत प्रकाशनों और पेटेंट के मामले में मज़बूत स्थिति में है, वहीं इन परिणामों को व्यावसायिक रूप से सफल समाधानों में बदलने का काम अपेक्षाकृत कमज़ोर बना हुआ है। इस स्थिति के कई कारण हैं, जिनमें अप्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र, बौद्धिक संपदा प्रबंधन में स्पष्टता की कमी, और प्रोटोटाइपिंग तथा सत्यापन के बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच शामिल हैं। वित्तीय और नीतिगत बाधाओं में वित्तपोषण की सीमित उपलब्धता और हतोत्साहित करने वाले कराधान जैसे कारक शामिल हैं, जो अनुसंधान के व्यावसायीकरण को और भी बाधित करती हैं। परिणामस्वरूप, अनुसंधान परिणामों का एक बड़ा हिस्सा प्रयोगशाला चरण से आगे नहीं बढ़ पाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट ज्ञान और अनुसंधान संसाधनों तक पहुंच को एक बड़ी बाधा मानती है, विशेष रूप से शीर्ष श्रेणी से इतर संस्थानों के लिए।

रिपोर्ट कहती है कि जहां प्रमुख संस्थानों के पास वैज्ञानिक डेटाबेस, पत्रिकाओं और उन्नत बुनियादी ढांचे तक अपेक्षाकृत बेहतर पहुंच हो सकती है, वहीं बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों-विशेषकर राज्य स्तर पर या निजी क्षेत्र के संस्थानों-को इन आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सदस्यता की उच्च लागत, साझा बुनियादी ढांचे की सीमित उपलब्धता, और पहुंच के कमजोर तंत्र संस्थानों के बीच अनुसंधान क्षमताओं में असमानताएं पैदा करते हैं। देश के रिसर्च बेस को बढ़ाने में राज्य संस्थानों की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए यह रिपोर्ट उनकी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की सलाह देती है, जिससे प्रक्रियागत बाधाएं दूर हों तथा रिसर्च तथा नवाचार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सके। इस रिपोर्ट में बताई गई ढांचागत और व्यवस्थागत रुकावटों को दूर करके, भारत अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है, ज्ञान को असरदार नतीजों में बदलने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकता है। यह रिपोर्ट भारतीय विज्ञान जगत के लिए एक समयोचित चेतावनी और अवसर दोनों है। देश को नियंत्रण और अनुपालन की औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालकर जब तक हम अपने वैज्ञानिकों को वित्तीय फाइलों और ऑडिटिंग के मकड़जाल से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा वैश्विक नेतृत्व का सपना अधूरा ही रहेगा। इस रिपोर्ट को बिना किसी देरी के लागू करना भारत की वैज्ञानिक संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा,
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

पैगम्बर साहब, इस्लाम, खलीफाओं और खिलाफत संस्था से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियां समझें

महावीर सिंह

शुरुआत करें इस सवाल से कि क्या पैगम्बर कभी येरुशलम गए थे? क्या रिश्ता है इस्लाम और येरुशलम का?

पैगम्बर मुहम्मद अपने जीवनकाल में कभी भौतिक रूप से मक्का से लगभग 1200 किलोमीटर दूर येरुशलम नहीं गए थे। इस्लामी मान्यता के अनुसार, ई 621 के आसपास अर्थात 632 ई में उनकी वफात के लगभग 11 वर्ष पहले, उन्होंने एक रात, अलबुरक नामक एक चमत्कारी वाहन में मक्का से येरुशलम की अल अक्सा तक की चमत्कारी आध्यात्मिक यात्रा की थी। इस्लाम में इस यात्रा को इशरा कहा जाता है। येरुशलम मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। वहीं से पैगम्बर साहब स्वर्गारोहण (मेराज) पर गए और अल्लाह से निर्देश प्राप्त किए।

इस्लाम में मेराज उस चमत्कारी और आध्यात्मिक घटना को कहा जाता है, जिसमें पैगंबर मुहम्मद को अल्लाह ने भौतिक और रूहानी रूप से सातों आसमानों जन्नत, जहन्नुम आदि की सैर कराई थी। पूर्व के सभी पैगंबरों के मुलाकात करवाई। खुद अल्लाह से संवाद किया। इसी अवसर पर अल्लाह ने मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज अता करना अनिवार्य हुआ।

वापस आकर अल्लाह के संदेश लोगों को सुनाए। आम आदमी मोटे रूप से यह समझ सकता है कि इस यात्रा के पहले प्राप्त संदेशों और मेराज यात्रा अल्लाह से आमने सामने प्राप्त इन्हीं संदेशों का समूह कुरान का सार है। इसी अलौकिक यात्रा के कारण येरुशलम इस्लाम में अत्यंत पूजनीय है। येरुशलम के पवित्र स्थल, जिसे हरम अल-शरीफ कहा जाता है, में दो प्रमुख संरचनाएं डोम ऑफ द रॉक (सोने के गुंबद वाली इमारत) और अल-अक्सा मस्जिद है। डोम ऑफ द रॉक उसी चट्टान के ऊपर बनाया गया है, जहाँ से पैगम्बर मुहम्मद के स्वर्ग यात्र पर जाने की मान्यता है। इस्लाम की शुरुआत में, पैगम्बर मुहम्मद और उनके अनुयायी नमाज़ अदा करते समय येरुशलम की दिशा की ओर मुख किया करते थे। बाद में, पैगम्बर को ईश्वर की ओर से मक्का में काबा की ओर मुख करने का निर्देश मिला।

पैगम्बर मुहम्मद के बाद, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत

येरुशलम के पवित्र स्थल, जिसे हरम अल-शरीफ कहा जाता है, में दो प्रमुख संरचनाएं डोम ऑफ द रॉक (सोने के गुंबद वाली इमारत) और अल-अक्सा मस्जिद है। डोम ऑफ द रॉक उसी चट्टान के ऊपर बनाया गया है, जहाँ से पैगम्बर मुहम्मद के स्वर्ग यात्र पर जाने की मान्यता है। इस्लाम में मेराज उस चमत्कारी और आध्यात्मिक घटना को कहा जाता है, जिसमें पैगंबर मुहम्मद को अल्लाह ने भौतिक और रूहानी रूप से सातों आसमानों जन्नत, जहन्नुम आदि की सैर कराई थी। पूर्व के सभी पैगंबरों के मुलाकात करवाई। खुद अल्लाह से संवाद किया। इसी अवसर पर अल्लाह ने मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज अता करना अनिवार्य हुआ। पैगम्बर मुहम्मद के बाद, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब के समय में, 637 ईस्वी में मुसलमानों ने येरुशलम को अपने नियंत्रण में ले लिया। तब से शहर में गैर-मुसलमानों को सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई।

""इतिहास में बार बार उल्लेखित खलीफाओं के संबंध में कुछ सामान्य बातें जानें"" मिस्त्र के मुमालिक शासकों के काल से पहले मुख्य खलीफा अब्बासी खलीफा थे।

इस्लामी इतिहास में खलीफा की मुख्य शृंखला इस प्रकार रहीः-

राशिदून खलीफा अर्थात वे खलीफा जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे सही मार्ग पर, अल्लाह के बताए मार्ग पर चलने वाले खलीफा थे। इनका अधिकतर बिरादरी में से चयन किया गया।यह समय 632 में पैगम्बर साहब की वफात से शुरू होकर 661 ई. तक का है अर्थात अत्यंत संक्षिप्त काल। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ पहले खलीफा के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान ग़नी, हज़रत अली इब्न अबी तालिब चार राशिदून खलीफा हुए। इसके पश्चात 661-750 के काल तक उमय्यद खलीफा हुएं। 750 ई से 1258 ई तक बगदाद के अब्बासी खलीफा हुए। ये सबसे लंबे समय तक चले। 1258 में मंगोलों ने बगदाद को नष्ट कर दिया और आखिरी अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम को मार डाला। इसके बाद इजिप्ट मिस्त्र के मुमालिक खलीफा हुए। 1250 में मिस्त्र में मुमालिक सुल्तानों ने अय्यूबी वंश को उखाड़ फेंका। मंगोलों द्वारा बगदाद विनाश के बाद, 1258 के बाद मुमालिकों ने काहिरा में अब्बासी खलीफाओं की एक नाममात्र शाखा को संरक्षण दिया। ये खलीफा सिर्फ प्रतीकात्मक थे, असली सत्ता मुमालिक सुल्तानों के पास थी। मुमालिक अब्बासी खलीफा 1517 तक चले, जब ओटोमन साम्राज्य ने मुमालिकों को हराया।

तुर्क के सुल्तान सेलिम प्रथम ने 1517 में मिस्त्र के ममलूक शासक जिनका राज्य सीरिया, हिजाज क्षेत्र और मिस्त्र में था पर विजय प्राप्त कर ऑटोमन साम्राज्य कायम किया। काहिरा से अंतिम अब्बासी खलीफा अल-मुतवक्किल को कैद करके कांस्टेंटिनोपल (इस्तांबुल) ले जाया गया। ममलूक सल्तनत (मिस्त्र, सीरिया, हिजाज) पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलम जैसे पवित्र स्थलों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ओटोमन सुल्तान इस्लामी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। उन्होंने खुद को इस्लाम का संरक्षक और खलीफा (रसूल के उत्तराधिकारी) घोषित किया।

इससे पहले 14वीं शताब्दी से ओटोमन सुल्तान कभी-कभी इस उपाधि का इस्तेमाल करते थे किंतु ओटोमन ख़िलाफ़त 1517 से 1924 तक चली (लगभग 407 वर्ष)। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की गणराज्य स्थापित करने के बाद ख़िलाफ़त को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह ख़िलाफ़त मुख्य रूप से राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकार का प्रतीक थी, जिसने ओटोमन साम्राज्य को इस्लामी दुनिया का नेता बनाया।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

गौमाता सड़क पर क्यों? - कानून, आस्था और भूखे पेट का सच

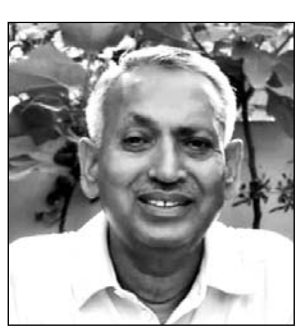

मदन सिंह काला

बचपन में स्कूल की दीवार पर लिखा पढ़ा था, गाय हमारी माता है। घर में भी यही सुना। साथ ही भैंस के लिए सुना, भैंस रांड भूतणी और पाडो-भैंसा पटेल। माता की अवधारणा मन में बैठ गई। सालों बाद जब जिला कलक्टर बना तो शहर की सड़कों पर वही माता कचरा खाती दिखी। भैंस, बकरी, भेड़ कहीं नहीं थी। सिर्फ गाय। तब पहली बार लगा कि श्रद्धा और सच्चाई के बीच कोई बड़ा फासला है। मैंने नगर परिषद की बैठक बुलाई। तय हुआ कि आवारा गायों को 10 किलोमीटर दूर चारागाह में छोड़ा जाए, जहां घास और पानी दोनों थे। अभियान चला। शाम होते-होते गायों के मालिक उन्हें वापस घर ले गए। तब समझ आया कि गाय आवारा नहीं है। हमने निर्देश दिए कि हर गाय के गले में मालिक का नाम और मोबाइल नंबर वाला पट्टा हो। उसी दिन नारा गढ़ा, मालिक आवारा है न कि गाय।

गाँव में समस्या और विकट थी। किसान कहते, बछड़ी हुई तो पाल लेंगे, गाय बनेगी। बछड़ा हुआ तो क्या करें? न दूध देता है, न अब हल में जोतते हैं। उल्टा फसल खा जाता है, सड़क पर मौत का कारण बनता है। इस सवाल ने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने यथार्थ गीता पढ़ी। 5वें और 6ठें अध्याय में कृष्ण गाय को उपयोगी पशु कहते हैं। 10वें में कहते हैं, गायों में मैं कामधेनु हूँ। पर कामधेनु हर गाय नहीं है। कामधेनु तो यह धरती है जो मेहनत से सब कुछ देती है। विज्ञान ने यही सिखाया।

विनायक दामोदर सावरकर ने गाय को लेकर रूढ़िवादी मान्यताओं को सीधी चुनौती दी थी। सावरकर का साफ तर्क था कि मनुष्य गाय के लिए नहीं, गाय मनुष्य के लिए है। जब गाय दूध देना बंद कर दे, अनुपयोगी हो जाए, या मानव जीवन पर संकट आए तो उसके वध और गोमांस सेवन में कोई पाप नहीं। वे मानते थे कि धर्म के नाम पर पशु को ईश्वर मानना और अंध भावना में बहना राष्ट्र के लिए आत्मघाती है। उनके शब्दों में, हिंदुओं ने गाय, मंदिर और ब्राह्मण जैसे प्रतीकों को बचाने के चक्कर में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों के सामने अपना राज्य दांव पर लगा दिया। इसलिए गाय की देखभाल परिवार के सदस्य जैसी हो, पर उसे पूजनीय मानना त्याज्य है। आज हर चौराहे पर एक सवाल खड़ा है - गाय हमारी माता है, तो माँ सड़क पर कचरा क्यों खा रही है? गाय के नाम पर कानून इतने सख्त कि मांस रखना भी जेल, लेकिन उसी गौमाता के नाम पर 1.93 करोड़ पशु बेसहारा, किसान की फसल बर्बाद और हाईवे पर हर दिन 8 लोगों की मौत। यह विरोधाभास नहीं, हमारी नीति का आईना है।

पाठक की सुविधा के लिए उसे गौवंश से संबंधित कानूनी पृष्ठभूमि भी के तौर पर देखना आवश्यक है जिसके कारण गौवंश की स्थिति दयनीय बनी। भारत के 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में आज गाय, बैल, बछड़ा, नंदी का वध, बिक्री, परिवहन कानूनन अपराध है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में पूर्ण प्रतिबंध है। सजा 3 साल से लेकर 10 साल तक, जुर्माना 10,000 से 5 लाख तक। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 और गुजरात संशोधन 2017 कहते हैं कि गौवंश का वध तो छोड़ो, उसके मांस को फ्रिज में रखना भी गैर-जमानती अपराध है। 2017 में केंद्र के पशु बाजार नियम आए तो किसान की बूढ़ी गाय बिकनी बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नियम पर रोक लगाई, पर डर बना रहा। नतीजा यह हुआ कि कर्नाटक में चमड़ा निर्यात 2017 के 521 करोड़ से गिरकर 2021 में 166 करोड़ रह गया। कानपुर, कोलकाता और चेन्नई की 40 प्रतिशत टेनरी में ताला लग गया। कर्नाटक, असम, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु में सिर्फ गाय वध पर रोक है, बूढ़े बैल-भैंसे पर नहीं। केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में कोई प्रतिबंध नहीं। यानी देश एक, कानून अनेक। सिर्फ वध नहीं, मृत गौवंश का चमड़ा उतारना भी अब जोखिम है। परंपरागत चर्मकार कहते हैं कि गाय मरी तो पुलिस आती है, चमड़ा उतारा तो जेल। हमारे बच्चे क्या खाएँ? 25 लाख लोग इसी काम से जुड़े थे, जिनमें 90 प्रतिशत दलित-मुस्लिम। धंधा चौपट, तो हुनर भूखा।

कानून के बाद का सच हर घर तक पहुँच गया है। पहली समस्या 1.93 करोड़ बेसहारा गोवंश की है। ये आवारा नहीं, हमारे ही गोपालकों की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता का नतीजा हैं। 1966 तक बैल ही ट्रैक्टर था। 1951 में 8 करोड़ बैल हल जोतते थे। फिर आया 80 लाख ट्रैक्टरों का जमाना। एक ट्रैक्टर पंद्रह बैल जोड़ी की ताकत रखता है। बैल पालना साल का 60,000 पड़ता है, ट्रैक्टर से जुताई 800 प्रति एकड़। किसान ने कैलकुलेटर चलाया। यूरिया 266 की बोरी ने 5000 लेबर वाले 10 टन गोबर को हरा दिया। भैंस 18 लीटर दूध देती है, देसी गाय 2-3 लीटर। पहले मरने पर चमड़ा 2000 बिकता था, अब वो भी अपराध। नतीजा यह कि किसान बछड़ा और बूढ़ी गाय सड़क पर छोड़ देता है। 20वीं पशुगणना 2023 के अनुसार देश में 1,93,60,579 बेसहारा गोवंश हैं। उत्तर प्रदेश 12.01 लाख के साथ सबसे ऊपर है। राजस्थान 8.73 लाख, मध्य प्रदेश 9.46 लाख। अकेले राजस्थान में भारत के कुल अनुत्पादक मवेशियों का 25 प्रतिशत है। ये दूध नहीं देते, इन्हें हल में नहीं जोतते, ये सिर्फ खाते हैं और सड़क पर बैठते हैं।

दूसरी समस्या खेत से श्मशान तक का सफर है। किसान और आम आदमी दोनों मर रहे हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट 2022 बताती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर साल 5000 करोड़ की फसल आवारा पशु चर जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने 2018 का डेटा दिया कि सिर्फ एक साल में 185 से ज्यादा मौतें आवारा पशुओं से हुईं। उसके बाद सरकार ने डेटा देना ही बंद कर दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में पूरे भारत में 2800 लोग सीधे आवारा पशुओं की टक्कर से मरे। एमपी के श्योपुर में 2024 में कार सड़क पर बैठी गाय को बचाने में पेड़ से टकराई और राजस्थान के 4 लोग मौके पर खत्म हो गए, गाय भी मरी। भरतपुर में दो सांड लड़ते-लड़ते कार पर गिरे और 6 लोगों की मौत हो गई। बालोतरा में सांड ने मिठाई दुकानदार को सींग पर उठाकर पटका, सिर की चोट से मौत हो गई। ये आंकड़े नहीं, हर हफ्ते की खबर हैं।

तीसरी समस्या गौशालाओं की है। देश में 5600 पंजीकृत गौशालाएं हैं। सरकार औसत 30 प्रति पशु प्रतिदिन देती है। असल खर्च चारा 80, पानी-दवा 20, कुल 100 है। यानी 70 प्रतिशत गौशाला हर दिन घाटे में हैं। सीएजी राजस्थान की रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देती है। 4.5 लाख गायों में से 1.2 लाख सिर्फ 6 महीने में मर गईं, भूख और बीमारी से। अलवर के पशु अस्पताल में 3 दिन में 12 गोवंश मरे, शव 2 दिन तक नहीं उठे। चौथी समस्या रोजगार की है। चमड़ा उद्योग 12 बिलियन डॉलर का था। 25 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता था। बंगाल में 100 इकाइयाँ बंद हुईं, 4000 बेरोजगार हो गए। कोलकाता का लेदर ग्लव्स निर्यात 2000 करोड़ का है। एक निर्यातक का दर्द है कि अगर मुझे गाय का चमड़ा मिलना बंद हो गया तो मुझे दक्षिण अफ्रीका से घटिया चमड़ा मंगाना पड़ेगा, और व्यापार पाकिस्तान और चीन के हाथ चला जाएगा। धारावी में 50 टैनरी से अब 4 बची हैं। मृत पशु उठाने वाले, हड्डी-बटन बनाने वाले, जिलेटिन फैक्ट्री सब खत्म हो गए। जिस कानून ने गाय बचाने का दावा किया, उसने इंसान से निवाला छीन लिया।

पांचवीं समस्या इंसानियत की हत्या की है। 2014 से 2023 के बीच गौ-तस्करी के शक में 120 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुईं, 50 मौतें हुईं। राजस्थान में ही चित्तौड़गढ़ में 2021 में भीड़ ने 25 साल के बाबू लाल भील को पीट-पीट कर मार डाला। अलवर में पहलू खान 2017, उमर खान 2017, रकबर खान 2018 में मारे गए। दूसरी तरफ फसल बर्बादी से तंग आकर 2022 में 47 किसान आत्महत्या कर गए, यह का डेटा है। यानी गाय के नाम पर इंसान मर रहा है, और इंसान के नाम पर गाय सड़क पर तड़प-तड़प कर मर रही है।

इतिहास क्या कहता है? गाय हमेशा पवित्र नहीं थी, उपयोगी थी। इतिहासकार डी. एन. झा अपनी किताब द मिथ ऑफ द होली काऊ में वैदिक ग्रंथों के हवाले से लिखते हैं कि ऋग्वेद 10.86.14 में इंद्र से प्रार्थना है, "हे इंद्र, तुम्हें भेंट किए गए बैल को स्वीकार करो"। शतपथ ब्राह्मण 3.1.2.21 साफ कहता है, "वह गाय या बैल को मारता है, जो लोग इसे सही ढंग से बलि देते हैं, वे वास्तव में इसे सही ढंग से मारते हैं"। सबसे बड़ा उदाहरण सुप्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य का है। गोमांस निषेध के सबसे बड़े पैरोकार माने जाने वाले ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में कहा कि "जब तक गायों और बैलों का मांस नरम-अंसल रहेगा तब तक मैं उसे खाता रहूंगा"। अतिथि को गोघ्न इसलिए कहते थे क्योंकि उसके लिए गाय काटी जाती थी। तो बदलाव कब आया? जब समाज खानाबदोश से कृषि-प्रधान बना। बैल ट्रैक्टर बन गया, गोबर खाद बन गया। बौद्ध और जैन के अहिंसा सिद्धांत के कारण ब्राह्मण वर्ण की परम्पराओं से लोग दूर होने लगे तो ब्राह्मणों ने गाय की पूजा करने लगे और उसको मां का दर्जा दिया। गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी तक आते-आते गाय अघन्या, यानी न मारने योग्य, हो गई। यानी गाय की पवित्रता अनादि-अनंत नहीं, एक आर्थिक-ऐतिहासिक प्रक्रिया है। दिलचस्प बात यह है कि बाबर ने अपनी वसीयत में गौकशी पर रोक लगाने को कहा। अकबर ने तो मौत की सजा का फरमान जारी किया। जहाँगीर ने भी प्रतिबंध रखा। यानी मध्यकाल के मुस्लिम शासक भी हिंदू भावना का सम्मान करते थे। 1966 के बाद यह साम्प्रदायिक पहचान का मुद्दा बना, जब संगठनों ने सड़क पर गौहत्या निषेध का आंदोलन छेड़ा।

रास्ता क्या है? नारा नहीं, नीति चाहिए। समस्या धार्मिक नहीं, पूरी तरह आर्थिक है। और आर्थिक समस्या का हल कानून की लाठी नहीं, बाजार का दिमाग है। पहला उपाय है गोबर को जीडीपी से जोड़ना। एक गाय रोज 10 किलो गोबर देती है। इससे 0.5 किलो सीएनजी बनती है, बाजार भाव 30। यानी एक बेसहारा गाय 900 महीना कमा सकती है। देश में 5000 गोबर-सीएनजी प्लांट लगें तो 2.5 करोड़ गाय कमाऊ पूत बन जाएंगी। किसान को सीधे 2000 महीना मिले। दूसरा उपाय नस्ल सुधार है, नारेबाजी नहीं। ब्राजील ने हमारी गिर गाय से जिरोलैंडो नस्ल बनाई जो 25 लीटर दूध रोज देती है। हम 3 लीटर पर अटके हैं। एनडीआरआई करनाल की वृंदावनी 15 लीटर देती है। बछड़ा बोझ नहीं, ब्रीडिंग बुल बने। तीसरा उपाय चमड़ा-हड्डी उद्योग को अपराध से आज़ाद करना है। मृत पशु का चमड़ा उतारना, हड्डी से जिलेटिन-बटन बनाना कृषि-कार्य घोषित हो। वर्ना 12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट पाकिस्तान और चीन ले जाएगा। चौथा उपाय सब्सिडी की दिशा बदलना है। यूरिया पर 1.75 लाख करोड़ सब्सिडी है। इसका सिर्फ 10 प्रतिशत गोबर खाद पर शिफ्ट कर दो। किसान को 5000 प्रति एकड़ मिले तो वो गोबर खरीदेगा। पांचवां उपाय पंचायत की जवाबदेही तय करना है। जिस गाँव की सीमा व शहर की गलियों में भूखी-प्यासी गाय मरे, उस सरपंच/ वार्ड मेम्बर पर 10,000 जुर्माना लगे। गौ-रक्षा दल की जगह गौ-सेवा दल बने जो चारा-पानी दे।

अंतिम बात यह है कि कृष्ण ने गाय क्यों चराई? क्योंकि तब गाय गोधन थी। बैंक, ट्रैक्टर, खाद, दवा सब। आज ट्रैक्टर खेत जोतता है, यूरिया खाद देता है, प्लास्टिक जूता बनाता है। अर्थव्यवस्था बदली, तो गाय की उपयोगिता भी बदली। हम कानून से 1500 साल पुरानी अर्थव्यवस्था वापस नहीं ला सकते। धर्म वही जिंदा रहता है जो वक्त के साथ इंसान का पेट भरता है। "गौ माता की जय" बोलना सबसे आसान है। मुश्किल है पूछना कि गौ माता भूखी क्यों है? जब तक इस सवाल का जवाब राजनीति देगी, गाय हाईवे पर कटेगी और किसान फंदे पर लटकेगा। जिस दिन जवाब विज्ञान, करुणा और बाजार देगा, उस दिन गाय फिर कामधेनु बन जाएगी और किसान का बेटा खेत में सोने के बजाय स्कूल में पढ़ेगा। भूखे पेट न भजन होय गोपाला। पहले चारा, फिर नारा। पहले रोजगार, फिर कानून।

-मदन सिंह काला,
पूर्व आईएएस

राशिफल

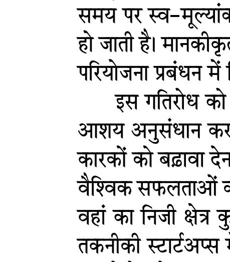

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 10 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 9:22 तक, आयुष्मान योग प्रातः 6:30 तक, वणिज करण दिन 1:46 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भद्रा दिन 1:46 से रात्रि 12:58 तक रहेगी। आज पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से 9:01 तक, शुभ 10:44 से 12:26 तक, चर 3:51 से 5:33 तक, लाभ 5:33 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:16

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी मन में असंतोष बना रहेगा।

वृष
आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

कन्या
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में अनावश्यक वाद-विवाद हो सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

कुंभ
व्यावसायिक प्रयासों में सार्थक/उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।